भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3217
जिसका उत्तर 24 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है

स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क

3217. श्री ए. इलावरासन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) पर लगने वाली उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी को एक वर्ष में 3 प्रतिशत तक रखे जाने, तथा 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले वाहनों को अपने दायरे से बाहर रखेजाने का अनुरोध किया है क्योंकि घरेलू कार निर्माता एक दशक में वाहनों की बिक्री में आई भारी गिरावट की चपेट में आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तेा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पहल को 10 लाख से कम कीमत वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों वाले ऑटो उद्योग के लिए एक स्वागत भरी राहत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इस श्रेणी के वाहनों में 85 प्रतिशत बिक्री एस.यू.वी. की होती है और शहरी तथा ग्रामीण, दोनों बाजारों में इस श्रेणी वाले वाहनों की मांग में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तेा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क) **से** (घ) : जी, हां। ऑटो उद्योग मुश्किल समय से गुजर रहा है। उद्योग के ताजे रुझान मंदी की ओर संकेत करते हैं । वर्ष 2011-12 के 12.24% बिक्री वृद्धि की तुलना में 2012-13 में मात्र 2.61% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान निर्यात में 1.34% की ऋणात्मक वृद्धि हुई है। यात्री कार सेगमेंट में भी 6.69% ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट की बिक्री पर भी विपरीत असर पड़ा है जोकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2011-12 में हुई बिक्री की तुलना में बिक्री में 2.02% की गिरावट हुई है। संभावना है कि इससे ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। 3% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी हाल की अधिसूचना से इस उद्योग पर और अधिक असर पड़ेगा तथा इससे उपभोक्ता भी हतोत्साहित होंगे क्योंकि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्र में आम तौर पर उपयोग होने वाले वाहन इस अतिरिक्त 3% उत्पाद शुल्क के दायरे में आ गए हैं ।अत:, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि मौजूदा संघ बजट में स्पोर्टर्स यूटीलिटी वाहनों (एसयूवी) पर लगाए गए 3% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या तो वापस ले लिया जाए या फिर दस लाख रूपए तक के निर्धारणीय मूल्य तक के ऐसे सभी वाहनों को इस शुल्क से मुक्त कर दिया जाए जो एसयूवी के रूप में वर्गीकृत हैं ।

***